न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

ल संख्या— 29/18 तारीख रज्जू—14/02/18

श्रीमति भूली देवी बेवा किशनलाल उम्र 80 साल जाति खटीक निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। —अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. भंवरलाल पुत्र किशनलाल जाति खटीक निवासी ईसरदा हाल निवासी एफ— 180 लाल कोठी योजना जयपुर वार्ड सं0 45 जयपुर।
3. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति खटीक निवासी ईसरदा हाल निवासी एफ 130 लाल कोठी योजना जयपुर वार्ड सं0 45 जयपुर राजस्थान।
4. हंसराज पुत्र किशनलाल जाति खटीक निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। —रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक— 5.4.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम ईसरदा के नामान्तकरण संख्या 263 में पारित निर्णय दिनांक 30/12/01 के विरूद्व प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम ईसरदा किशना पुत्र श्योजी जाति खटीक की स्थित खातेदारी भूमि का किशना के फौत हो जाने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ है,साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 263 निर्णय दिनांक 30/12/01 वाके ग्राम ईसरदा अपास्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 सं0 1 की और से परोकार सरकार उपस्थित तथा रेस्पों सं0 2 लगायत 4 मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गइ।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अदालत मातहत ने प्रशासन गांवों के संग 2001 अभियान में जों नामा0 सं0 263 ग्राम ईसरदा दिनांक 30/12/01 को विरासत ाक भरा गया है। उसमें अपीलांट श्रीमति भुली देवी के स्थान पर फुंला देवी बेवा किशनलाल अंकित हो गया है। जबकि मृतक किशन लाल की पत्नि अपीलांट का सही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

8/P

नाम श्रीमति भूली देवी है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 263 निर्णय दिनांक 30/12/01 वाके ग्राम ईसरदा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि हम वकील अपीलान्ट की बहस से सहमत है तथा वकील रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण सं0 263 निर्णय दिनांक 30/12/01 वाके ग्राम ईसरदा निरस्त करने हेतु निवेदन किया हैं।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उभय पक्षों द्वारा नामान्तकरण संख्या 263 निर्णय दिनांक 30/12/01 वाके ग्राम ईसरदा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अतः उभय पक्षों की सहमति के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 263 में पारित निर्णय दिनांक 30/12/01 वाके ग्राम ईसरदा निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उभय पक्षों को सुना जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर